

7-6-17

पत्रावली राजस्व लोक कल्याण = दादा कापड इतु केम
 होलत पत्र काज मेम इतु तदाकाल छीपाकरी है केम
 होलत पत्र विनाकत जरात जत इका नो भा. वि.
 छिदा जमा। जत विनाकत जरात है पक्ष कारण लबुकर
 है। मुलाकत विनाकत जरात कडुता विनाकत कारणा
 काके जत होलत का पक्षकारा के मयद इतु - इतु
 विनाकत विनाकत छिदा जमा है

नाम जोरजल

ख.नं.	रकम	जमात
-------	-----	------

दामाबाय पाते रामदास

9/1

3-19

4-42

कोठ जात मा. देह

रह. वेत कापड नेडा

झाजे छीपाकरी

मु. नं.

कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ	
2. लक्ष्मीचन्द, गहेड, धरराज,	9	1-03	1-29
श्रीधरल पुत्र खड्डाल,	148	2-02	2-35
कमलेश्वर पुत्री खड्डाल डि.	853	0-14	1-13
1/5 ठेका करा. रामदाल, राजमल			
पुत्र लड्ड, पुनीवार पुत्री लड्ड			
केशवराव देव लड्ड डि 1/5			
कोठ जाटस ठा. डेह			
	किरा 3	3-19	4-77

उपर कालुकार विकारि काराजी का
 कारी एस जॉर कारीगत के गद्य प्रपक-प्रपक विकारि
 किरा जाल राजस दिकार में खाल इरगास करे
 डेह लक्ष्मीचन्द हीजाकडे को कोडेधि, किम
 जाल हे लड्डकप करिध डिहि पकर जारी हे।
 पगावली लक्ष्मी खड्डाल देकल काड लक्ष्मी लक्ष्मी
 के दाखिल इकरल हे।

सुप्रखण्ड अधिकारी
 छीपाबडीत जिला बारा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबझैंद जिला बारां

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 87/17	धारा अंतर्गत 53, 188, 183 RTA	निर्णय दिनांक 7-6-17
समक्ष - श्री हरि लाल कार RAS उपखण्ड अधिकारी छीपाबझैंद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी 54 B & C		अभिभाषक प्रतिवादी श्री B & C - A

वाद शीषर्क

श्री हरि लाल पुत्र मोहनलाल कार गार्ड गार्ड विधायी होल्डर तह. छीपाबझैंद बारां

- 1- चम्पाबाई पत्नी रामदयाल
- 2- रामदयाल पुत्र लड्डू
- 3- कोमलकाय पुत्र रामदयाल
- 4- कोमल पुत्र रामदयाल गार्ड गार्ड विधायी होल्डर तह. छीपाबझैंद
- 5- दुर्गाबाई पुत्री चतक पत्नी छोटे लाल गार्ड गार्ड विधायी होल्डर तह. छीपाबझैंद
- 6- राजग साकाल अरु तहसीलदार छीपाबझैंद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुनाबिल विभाग प्रचार अड्डा विभाजन कारण वाक आज होल्डर का पक्षकारण के मध्य एक-एक विभाग विभाजन किया जाए है।

	ख. सं.	रकम	मार्ग
1- चम्पाबाई पत्नी रामदयाल कोठ गार्ड सा. देह	9/1	3.19	4.42
2- लक्ष्मीचंद्र, महेन्द्र, धनराज, चौधरी पुत्र छोटे लाल, 9		1.03	1.29
कुमलबाई पुत्री छोटे लाल तह. 5/5 वर. रामदयाल, 148		2.02	2.35
राजगल पुत्र लड्डू, दुर्गाबाई पुत्री लड्डू, कमलाकाय पुत्री लड्डू तह. 4/5 कोठ गार्ड सा. देह	853	0.14	1.13

कुल 3 3.19 4.77

इस प्रकार उक्त विवरित कारणों का द्वारा एक-एक कोठ गार्ड गार्ड के मध्य एक-एक विभाग विभाजन किया जाए रागल विवरित के अनुसार शर्तों को छोड़ तहसीलदार को छोड़ कर कोठ गार्ड किया जाए है। साथ ही नियमानुसार ₹0 का व्यायानुत्तप द्वारा को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 7.6.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबझैंद जिला बारां (राज.)

व्यायानुत्तप			
क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		